Sub:- Creating an inclusive school

12/11/2020

Topic:- समावेशी कक्षा : प्रबंधन तकनीक

शिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तथा संगठित रूप से संचालित करने के लिए कक्षा-प्रबंधन की अत्यन्त आवश्यकता पड़ती है। कक्षा-प्रबन्धन वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के सम्बन्धों और अन्तः सम्बन्धों के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया सम्पादित होती है तथा कक्षा में कार्य तथा क्रियाकलापों से अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है।

अध्यापक तथा विद्यार्थी कक्षा प्रबन्धन के मुख्य अंग है। अध्यापक कार्यों से तात्पर्य अध्यापक के व्यवहार तथा शारीरिक भाषा व हाव-भाव से होता है। अपने व्यवहार तथा शारीरिक भाषा से विद्यार्थी कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करता है। कक्षा-प्रबन्धन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों में अधिगम की वृद्धि करना है, और कक्षा में सीखने की अधिगम की समुचित परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। अर्थात अधिगम का कार्य किसी समस्या का जन्म देने वाली परिस्थितियों की गणना करके समस्या के समाधान में सहायता देना है।

कक्षा प्रबन्धन के आयाम :-

(i) हरबर्ट का आयाम (Herbartian Approach)

(ii) मूल्यांकन आयोग (Evaluation Approach)

(iii) शिक्षण अधिगम का प्रबन्धन (Managing of Teaching learning)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(iv) शिक्षण संगठन (Organizing Teaching)
(v) शिक्षा का प्रतिमान आयाम

(vi) कक्षा-शिक्षण की क्रियायें
(Operations of classroom Teaching)

हरबर्ट का आयाम :- यह बहुत प्राचीन आयाम है। इसके पांच पद हैं :-
(a) प्रस्तुतीकरण
(b) तैयारी
(c) तुलना।
(d) विश्लेषण तथा संश्लेषण
(e) सामान्यीकरण।

यह कक्षा प्रबन्धन का पाठ्यवस्तु केन्द्रित आयाम है, यह अध्यापक नियंत्रण अनुदेशों पर आधारित है। इसमें कक्षा-प्रबन्धन के समस्त क्रिया-कलापों का प्रबन्धन नियन्त्रण अध्यापक द्वारा किया जाता है और विद्यार्थी उदासीन श्रोता होते हैं। यह विषय के रटने पर बल देता है। इस आयाम को विचारहीन शिक्षा (स्मृति) की संज्ञा दी जाती है।

मूल्यांकन आयोग :- कक्षा-शिक्षण का यह आयाम बी. एस. ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अन्तर्गत शिक्षण को त्रिपादी प्रक्रिया से संलग्न माना जाता है। (1) शिक्षा के उद्देश्य, (2) अधिगम अनुभव तथा (3) व्यवहार परिवर्तन। कक्षा-शिक्षण हेतु शिक्षा के उद्देश्यों को जानना आवश्यक है।

— v —

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम 1995 (Persons with Disabilities Act 1995)

(4) रोजगार के अवसर प्रदान करना (providing opportunities of employment) :-

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें का प्रमुख दायित्व है कि शारीरिक रूप से अक्षम छात्र एवं छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध तथा उनकी स्थापना (placement) की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिन क्षेत्रों में अक्षम छात्रों को रोजगार मिलने सकता हो उन क्षेत्रों को सरकार द्वारा विकास किया जाना चाहिए।

(5) आरक्षण व्यवस्था (Reservation System) :-

सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए आरक्षण व्यवस्था होना चाहिए। वर्तमान समय में सरकार द्वारा नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत निश्चित कर दिया जाता है। इसके अन्तर्गत 4% की व्यवस्था की जाती है।

(6) यात्रा सम्बन्धी सुविधाएँ (Travelling Related facilities) :-

यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं में इन छात्रों के लिए किराये में छूट का प्रावधान होना चाहिए।

(7) अक्षमता रोकने के लिए शोध (Research for disability prevention) :-

इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के तथ्य को स्वीकार किया जाता है। इन शोधकार्यों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की शारीरिक अक्षमताओं को रोकना तथा उन्हें दूर करना। जैसे - दृष्टि से सम्बन्धित अक्षमता को विद्यालय में ही प्रारम्भिक बाल्यकाल में ही पता किया जाए

(8) उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था (Arrangement of Construction of Instruments):-

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों का यह भी दायित्व होगा कि शारीरिक अक्षमता से सम्बन्धित उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था की जाए, जिससे कम दर पर अथवा निःशुल्क रूप में अक्षम छात्रों को इन उपकरणों को उपलब्ध कराया जा सके।

(9) स्वास्थ्य सुविधाएँ (Health Facilities):-

शारीरिक अक्षमता से युक्त छात्रों को विद्यालय में चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(10) उपकरण (Instrument):-

शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए उनकी अक्षमता से सम्बन्धित उपकरण निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे - पैरों से न चलने वाले छात्रों को व्हील चेयर एवं श्रवण अक्षमता से युक्त छात्रों के लिए श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना आदि।

Scanned with CamScanner